

22 ज़िलों के पुलिस थानों में ई-एफआईआर को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2021 को राज्य कैबिनेट समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने 22 ज़िलों में ई-एफआईआर पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, इससे लोग थानों का दौरा किये बिना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल अपराध, चोरी, संधमारी एवं नाबालगिों की गुमशुदगी की शिकायतों से संबंधित विशेष प्रकृतिके मामले बना थाने गए दर्ज कराए जा सकते हैं।
- ऐसे मामलों से संबंधित प्राथमिकी नागरिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। इसके लिये रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर सभी 22 ज़िलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित किये जाएंगे।
- सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ई-एफआईआर पुलिस थाने प्रत्येक ज़िले में पहले से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम में कार्य करेंगे।
- केवल डीएसपी या इंसपेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही ई-एफआईआर थाने के प्रभारी की अतिरिक्त कमान दी जाएगी।